न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.)
23 OCT 2012
शाखा रीडर-2
अधीक्षक कमिश्नर

CF ₹ 20/-

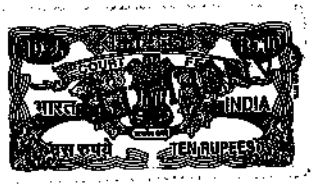

सोहनलाल पिता कल्याण महरा (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम बेलगवॉ तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म0प्र0.................................. निगराकार/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

R-4005-II/12

दसई चौधरी पिता मोहन चौधरी निवासी ग्राम बेलगवां तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म0प्र0 .... गैरनिगराकार

श्री .... आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

अधीक्षक 23/10/2012
कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग

राजस्व निगरानी विरूद्ध आदेश कलेक्टर महोदय जिला अनूपपुर दिनांक 27.08.2012 वरूवे रा0प्र0क्र0 18/निग./2003-03
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

3352

निगराकार/पुनरीक्षणकर्ता निम्नानुसार निगरानी पेश कर विनय करता है –

मामले का संक्षिप्त तथ्य

निगराकार एक भूमिहीन कृषक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और मजदूरी तथा कृषि कार्य से ही अपने परिवार का उदर पोषण करता है। ग्राम बेलगवां तहसील पुष्पराजगढ़ स्थित शासकीय आ0ख0नं0 538 रकवा 0.37 एकड़ में निगराकार वर्ष 1983–84 से कास्तकारी करते हुए अपने बाल बच्चों का पेट पालन करता चला आ रहा है जिसका व्यवस्थापन भूमिहीन कास्तकार होने के आधार पर वर्ष 1990 में तहसील न्यायालय पुष्पराजगढ़ से निगराकार को पट्टा प्राप्त हुआ था जिस पर निगराकार अर्सा 30 वर्ष से बंधी बना कर कास्तकारी करते हुए अपने परिवार का उदर पोषण कर रहा है।

गैर निगराकार दसई चौधरी का उक्त भूमि में किसी प्रकार से कोई अधिकार व स्वत्व नहीं है किन्तु ईर्ष्या द्वेष के कारण गैर निगराकार द्वारा अनाधिकृत रूप से पहले अनुविभागीय अधिकारी महोदय पुष्पराजगढ़ के न्यायालय में चाराजोई किया और जब उसे वहां से सफलता नहीं मिली तब उसने 13 वर्ष बाद निगराकार के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 5.1.90 के विरूद्ध कलेक्टर महोदय शहडोल के न्यायालय में दिनांक 6.1.03 को धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 के अंतर्गत बेम्याद निगरानी पेश किया गया और विलम्ब माफी के संबंध में गैर निगराकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। नवगठित जिला अनूपपुर दिनांक 15.8.03 को प्रारंभ

-2-

R 4005-II/12 — मिश्रा अनुपम

12-2-16.	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अभिभावक श्री पुरुषोत्तम सिंह की पुकार करायी गयी, किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3- चूंकि आवेदक तथा अभिभावक की पुकार तीन बार करायी गयी। सूचना उपरांत आवेदक तथा अभिभावक के उपस्थित नहीं होने के कारण संहिता की धारा 35(2) के तहत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	